

अध्याय VI: भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

6.1 एक संविदा के अन्तर्गत गैर-निष्पादन के कारण हानि

संविदागत प्रावधानों के अनुसार निष्पादन में विफल होने के तथा ग्राहक द्वारा बैंक गारण्टी के परिणामी आहरण के कारण भेल को 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की हानि उठानी पड़ी।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने 63.86 मिलियन यूरो की कीमत पर 2552 दिनों (लगभग 7 साल) की पूर्णता अवधि के लिए केवन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्लांट की आठ ईकाईयों के पुर्नवास तथा उन्नयन के लिए इलेक्ट्रिक यूरेटिम एस जेनल मुदुरलुगु (ईयूएस) तुर्की, के साथ एक संविदा (21 अप्रैल 2015) की थी। काम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) खोलने की तारीख के समान होनी थी।

उपर्युक्त संविदा के प्रावधानों के अनुसार, भेल ने 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की राशि के लिए ईयूएस के पक्ष में एक निष्पादन बैंक गारण्टी जारी की (21 अप्रैल 2015)। अप्रैल 2015 में संविदा पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, भेल ने अनुमोदन के लिए काम शुरू करने की प्रस्तावित प्रारंभिक तिथि, 30 अगस्त 2015 के साथ ईयूएस को एल2 अनुसूची (अर्थात् विस्तृत समय सीमा तथा परियोजना गतिविधियों का क्रम) प्रस्तुत (10 जुलाई 2015) की। तथापि, विभिन्न तकनीकी खामियों जैसे ईयूएस से भेल द्वारा एकत्र किए गए ड्राइंग/ दस्तावेज की सटीकता, इंटेक गेटों से संबंधित कार्य को आपातकालीन बंदी में सक्षम बनाने से संबंधित, स्टेटर फ्रेम से संबंधित कार्य, शटडाउन से पहले अतिरिक्त ट्रांसफार्मर के पुर्नवास आदि के कारण कार्य समय पर शुरू नहीं किया जा सका। ईयूएस के साथ अनुबंध को अंतिम रूप देते समय, भेल ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि अद्यतित ड्राइंग तथा मौजूदा उपकरणों के डिजाइन डेटा प्रदान करने के लिए ईयूएस की जिम्मेवारियों को संविदा में शामिल किया गया था। इसके पश्चात, भेल ने अनुमोदन के लिए 1 नवंबर 2015 को काम शुरू करने की प्रस्तावित तिथि के साथ संशोधित एल2 अनुसूची (प्रस्तुत) पेश की (23 सितम्बर 2015)।

एलसी को 07 मार्च 2016 को ईयूएस द्वारा खोला गया था तब काम शुरू करने की शून्य तिथि भी प्रभावी हो गई थी। यद्यपि, इसके बाद भी, भेल शटडाउन की अवधि के दौरान ईकाईयो के निरीक्षण तथा भौतिक माप सहित आवश्यक ड्राइंग/ दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण कार्य शुरू करने में समय नहीं था। नवंबर 2016 में ईयूएस तथा भेल के बीच बैठक के सहमत कार्यवृत्तों (एमओएम) में इसका उल्लेख था। तथापि, इयूएस

ने उसी बैठक में भेल को सूचित किया कि उन्होंने पहले से ही सभी उपलब्ध ड्राइंग/दस्तावेज प्रदान कर दिये थे। इस बैठक में ईयूएस (8 से 10 नवंबर 2016) से यह भी सहमति हुई कि भेल प्रारंभिक योजना गतिविधियों से संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा।

ईयूएस ने भेल को अपेक्षित डिजाइन विवरण, विस्तृत तकनीकी विशिष्टताएं, गुणवत्ता आश्वासन योजना, उप-संविदा सूची, निर्माताओं की सूची इत्यादि को एलसी के खुलने के एक साल बाद तक भी प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए भेल को नोटिस (13 दिसम्बर 2016 तथा 10 फरवरी 2017) जारी किए तथा भेल को अपेक्षित दस्तावेजों/ योजना को 10 दिन के भीतर ही प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। अन्ततः अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में भेल की असमर्थता का उल्लेख करते हुए ईयूएस ने 7 मार्च 2017 को संविदा रद्द कर दी। 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की निष्पादन गारंटी का अंततः 4 दिसम्बर 2017 को ईयूएस द्वारा नकदीकरण करा लिया गया।

यह ऑर्डर कार्यआदेश भेल के लिए हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट की उच्चतम रेटिंग का आरएण्डएम कार्य था तथा भविष्य के संदर्भों के लिए नए क्षेत्र का अनुभव प्राप्त करने का अवसर था। प्रारंभिक योजना गतिविधियों को पूरा करने में असमर्थता के कारण यह अवसर खो दिया जिसके कारण 3.83 मिलियन यूरो (₹28.35 करोड़) की निष्पादन गारन्टी को भुना लिया गया।

प्रबंधन ने में कहा (20 सितम्बर 2019) कि:

- साइट के दौर के दौरान ईयूएस द्वारा प्रदान की गई ड्राइंग बहुत पुरानी थी तथा यह सुनिश्चित नहीं था कि पॉवर हाउस पर समय-समय पर किए गए परिवर्तनों को ड्राइंग में शामिल किया गया है या नहीं। जैसेकि, डिजाइन व इंजीनियरिंग गतिविधियों की शुरुआत के लिए ईयूएस से अपेक्षित इनपुटों की सूची ईयूएस को भेजी गई थी। एकत्र किए गए इनपुटों तथा ईयूएस के साथ चर्चा के आधार पर संशोधित अनुसूची तैयार की गई थी।
- भेल उपलब्ध डेटा की शुद्धता की जांच के बाद ही आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता था जिसे मौजूदा उपकरणों के भौतिक माप से निर्धारित किया जाना था, जिसके लिए ईयूएस ने 12 जुलाई 2017 से 25 अगस्त 2017 तक तथा दोबारा 11 सितम्बर 2017 से 20 अक्टूबर 2017 तक मशीनों को बंद करने के वचन दिया था। तथापि, शटडाउन होने का इंतजार किए बिना ही, ईयूएस ने आगे बढ़कर 07 मार्च 2017 को ही संविदा रद्द कर दी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि:

- संविदा पर हस्ताक्षर होने की तिथि के दो वर्ष समाप्त होने के बावजूद, भेल प्रारंभिक योजना गतिविधियों को पूरा करने तथा ईयूएस को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। मार्च 2016 में ईयूएस द्वारा एलसी खोलने के बाद भी मार्च 2017 तक भेल द्वारा कोई ठोस कार्यवाई (नवंबर 2016 में एक बैठक के अतिरिक्त) नहीं की गई, जब ईयूएस ने अंततः भेल के गैर-निष्पादन के कारण संविदा रद्द कर दी।
- ईयूएस द्वारा जारी नोटिसो के उत्तर में, भेल ने ईयूएस द्वारा मशीनों को बंद करने के प्रावधान न होने के कारण दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की असमर्थता को सूचित नहीं किया। इसके अलावा, जैसा कि कानूनी सलाहकारों का मत था, भेल के पास ईयूएस द्वारा बैंक गारंटी के नकदीकरण को गलत साबित करने के लिए वैध कानूनी मामला नहीं था।

इस प्रकार, भेल ने प्रारंभिक योजना गतिविधियों को पूरा करने में असमर्थता के कारण न केवल 3.83 मिलियन (₹28.35 करोड़) खो दिए बल्कि भविष्य के संदर्भों के लिए नए क्षेत्र के अनुभव को प्राप्त करने का अवसर भी खो दिया।

पैरा मंत्रालय को नवम्बर 2019 में जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

6.2 सीवरेज उपकरण का परिहार्य भुगतान

भेल का हैदराबाद का हैवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट, हैदराबाद जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड द्वारा दी गई सीवरेज उपकरण में छूट का लाभ उठाने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से मार्च 2019 तक ₹21.24 करोड़ का अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की एक ईकाई, हैवी पॉवर इक्विपमेंट प्लांट (एचपीईपी), हैदराबाद ने हैदराबाद मेट्रोपोलिटन जल आपूर्ति तथा सीवरेज बोर्ड (एचएमडब्ल्यूएसएसबी) से उसके द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए टैरिफ के अनुसार अपनी फैक्टरी तथा टाउनशिप के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था की। एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने संशोधित जल और सीवरेज टैरिफ को 1 दिसंबर 2011 से प्रभावी किया (नवंबर 2011) जिसमें मासिक जल प्रभारों पर 35 प्रतिशत सीवरेज उपकरण शामिल किया गया। टैरिफ आदेश में थोक उपभोक्ताओं के लिए सीवरेज उपकरण में 50 प्रतिशत

(अर्थात्, 17.5 प्रतिशत) की छूट प्रदान की गई, ताकि वे अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित हो।

तब तक, एचपीईपी औद्योगिक और घरेलू अपशिष्टों के उपचार के लिए अपने कारखाने और टाउनशिप के लिए पहले से ही अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की स्थापना कर चुका था। एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने कंपनी को दोहराया (जनवरी 2012) कि प्रोत्साहन केवल तभी लागू होता है जब बोरवेल के पानी सहित उपयोग किए गए पानी की पूरी मात्रा को अन्य उपयोगों के लिए उपचारित और पुनर्नवीनीकरण किया जाता हो। इसके अलावा, एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने उन उपभोक्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए दिशानिर्देश तैयार किए (31 अक्टूबर 2013), जिन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) की स्थापना की थी और छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यकताओं को पूरा किया था। इसके साथ साथ यह भी निर्धारित किया गया, कि एसटीपी की स्थापना करने वाले सभी उपभोक्ताओं से छूट का लाभ उठाने के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में एक महीने में एक बार एसटीपी की जानकारी के अतिरिक्त छह माह में एक बार पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (ईपीटीआरआई) से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि एचपीईपी ने बताया था कि इसके द्वारा उपयोग किए गए संपूर्ण पानी का उपचार किया गया है तथा एसटीपी और ईटीपी दोनों संयंत्रों के लिए नियमित रूप से ईपीटीआरआई परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है, फिर भी इसने छूट प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार यह स्थापित करने के लिए कि बोरवेल के पानी सहित उपयोग किए गए पानी की पूरी मात्रा को अन्य उपयोगों के लिए उपचारित और पुनर्नवीनीकरण किया गया है, एचएमडब्ल्यूएसएसबी को ईपीटीआरआई का छह मासिक प्रमाण पत्र और निर्धारित मासिक प्रोफार्मा (एसटीपी और ईटीपी से संबंधित) में संबंधित आवश्यक डेटा प्रस्तुत नहीं किया। परिणामस्वरूप, एचपीईपी ने जनवरी 2012 से मार्च 2019 की अवधि में 35 प्रतिशत की दर से सीवरेज उपकरण प्रभागों के लिए ₹42.48 करोड़ (फैक्ट्री के लिए ₹13.82 करोड़ और टाउनशिप के लिए ₹28.66 करोड़) का भुगतान किया। चूंकि कंपनी एचएमडब्ल्यूएसएसबी को अपेक्षित डेटा प्रस्तुत करने में विफल रही, इसलिए यह जनवरी 2012 से मार्च 2019 तक की अवधि में एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा स्वीकृत ₹21.24 करोड़ तक सीवरेज उपकरण में 50 प्रतिशत छूट की राशि का लाभ नहीं उठा सकी। प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2019) कि:

- यूनिट का अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट था और वह इन प्लांट्स का रखरखाव स्वयं ही कर रही थी। एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने मार्च 2009 से 35 प्रतिशत सीवरेज उपकरण लगाना शुरू किया। सीवरेज उपकरण का

भुगतान मार्च 2009 से दिसंबर 2011 की अवधि के विरोध के तहत किया गया था। यूनिट ने सीवरेज उपकरण के उद्ग्रहण और मांग को चुनौती देने के लिए अगस्त 2012 में एक रिट याचिका इस आधार पर दायर की थी कि वे एसटीपी और ईटीपी स्वयं संचालित कर रहे थे।

- चूँकि, रिट याचिका की सुनवाई नहीं हुई थी, इस मामले को हल करने के लिए एचएमडब्ल्यूएसएसबी के समक्ष मामला उठाया गया था। मई 2019 में नया समझौता करते समय, एचएमडब्ल्यूएसएसबी ने 50 प्रतिशत छूट की अनुमति देने और भविष्य के पानी के बिल में इसे समायोजित करने की स्वीकृति दी। तदनुसार, फरवरी 2019 के महीने में जुलाई 2009 से दिसंबर 2018 की अवधि के लिए सीवरेज उपकरण की छूट के दावे प्रस्तुत किए गए थे।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेश के अनुसार, सीवरेज उपकरण में छूट जनवरी 2012 से थोक उपभोक्ताओं के लिए लागू थी जो स्वयं एसटीपी और ईटीपी का संचालन करते हैं। इसलिए, 100 प्रतिशत सीवरेज उपकरण की छूट के लिए कंपनी का दावा मान्य नहीं था। अगस्त 2012 में कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, तेलंगाना द्वारा अब तक स्वीकार नहीं किया गया है।
- मई 2019 में भेल और एचएमडब्ल्यूएसएसबी के बीच हुए नए समझौते में यह नहीं कहा गया है कि एचएमडब्ल्यूएसएसबी भविष्य के पानी के बिलों में सीवरेज उपकरण में छूट को समायोजित करेगा। इसके अलावा, भविष्य के पानी के बिलों में छूट के समायोजन के लिए एचएमडब्ल्यूएसएसबी की सहमति दिखाने वाला कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था।
- एचएमडब्ल्यूएसएसबी द्वारा जारी परिपत्र (अक्टूबर 2013) के अनुसार, अपने स्वयं के एसटीपी वाले थोक उपयोगकर्ताओं को निर्धारित प्रारूप में छह महीने में एक बार ईपीटीआरआई द्वारा यथावत प्रमाणित एसटीपी विवरण मासिक आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। हालाँकि, फरवरी 2019/ अप्रैल 2019 में दावा प्रस्तुत करते समय, कंपनी ने प्रत्येक महीने के बजाय छह महीने की अवधि के लिए एसटीपी का विवरण प्रस्तुत किया, वह भी यथा अपेक्षित ईपीटीआरआई के प्रतिहस्ताक्षर के बिना।

इस प्रकार, सीवरेज उपकरण में छूट का लाभ उठाने के लिए एसटीपी एवं ईटीपी से संबंधित डेटा एचएमडब्ल्यूएसएसबी को प्रेषित करने में भेल एचपीईपी, हैदराबाद की विफलता के परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹21.24 करोड़ का

अतिरिक्त परिहार्य व्यय हुआ। उक्त अवधि के दौरान सीवरेज उपकर पर 50 प्रतिशत की छूट के लाभ का दावा करने के लिए भेल द्वारा छोड़े गए अवसर का यह भी अर्थ था कि एसटीपी के कामकाज की प्रभावशीलता पर तीसरे पक्ष के आश्वासन का लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका तथा मानकों के अनुसार एसटीपी के गैर-प्रदर्शन के जोखिम को पर्याप्त रूप से कम नहीं किया जा सका।

मामले को मंत्रालय को दिसम्बर 2019 में संदर्भित किया गया; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2020)।

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिमिटेड (एचईसी)

6.3 टाउनशिप एंड लैंड मैनेजमेंट

6.3.1 प्रस्तावना

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी या कंपनी) इस्पात, खनन, रेलवे, विद्युत, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु तथा रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत में बड़े उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। बिहार सरकार (जीओबी) ने 1958-59 के दौरान एचईसी को 7199 एकड़ भूमि आवंटित की [फाउंड्री फोर्ज प्लांट (एफएफपी), हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट (एचएमबीपी) व हैवी मशीन टूल प्लांट (एचएमटीपी) को स्थापित करने तथा अन्य सहायक व संबंध प्रयोजन के लिए 2312 एकड़ भूमि मुफ्त तथा टाउनशिप व अन्य सहायक प्रयोजनों के लिए ₹2.75 करोड़ की लागत पर 4887 एकड़ भूमि]। एचईसी ने एफएफपी, एचएमबीपी व एचएमटीपी की स्थापना की तथा इसकी टाउनशिप में अन्य इमारतों जैसे हॉस्टल, अस्पताल, स्कूल भवन, दुकान इत्यादि के अलावा 11109 क्वार्टर हैं।

एचईसी में भूमि तथा टाउनशिप प्रबंधन पर एक अध्ययन यह निर्धारण करने के लिए किया गया था कि क्या भूमि तथा टाउनशिप सेवाओं का प्रभावी रूप से प्रबंधन किया गया था, अन्य पार्टियों को भूमि पट्टे पर देने की नीति की मौजूदगी व अनुपालन, पट्टे का समय पर नवीनीकरण किया गया, सम्पदा बकाया वसूली की गयी तथा भूमि व इमारतों के अतिक्रमण को पहचानने व हटाने के लिए पर्याप्त तथा प्रभावी प्रणाली थी। अप्रैल व मई 2019 में तीन वर्षों 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए एचईसी की भूमि तथा टाउनशिप प्रबंधन से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की गई।

6.3.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.3.2.1 भूमि प्रबंधन

(i) भूमि का उपयोग

31 मार्च 2019 को कंपनी की भूमि की स्थिति नीचे दी गई हैं।

तालिका 6.3.1: 31 मार्च 2019 को एचईसी द्वारा प्राप्त भूमि की स्थिति

विवरण	भूमि एकड़ में	कुल भूमि का प्रतिशत
फैक्टरी, आवासीय क्षेत्र, अन्य क्षेत्र के लिए प्रयुक्त भूमि तथा टाउनशिप के अन्दर पॉकेट में भूमि (फैक्टरी क्षेत्र 729.27, आवासीय क्षेत्र 772.96, अन्यक्षेत्र (ड्रेनेज टाउनशिप) 166.92 टाउनशिप के अन्दर पॉकेट में भूमि 900.00	2569.15	36
जीओजे (2691.44 एकड़) तथा सीआईएसएफ (158 एकड़) को भूमि हस्तांतरित भूमि	2849.44	40
जीओजे [306.86 एकड़ (अतिक्रमण के अधीन भूमि) +19.13 एकड़] को हस्तांतरित की जाने वाली भूमि	325.99	5
पट्टे पर दी गई भूमि/ विभिन्न ऐजेन्सियों को पट्टे पर दी गई भूमि (सेल/ आरडीसीआईएस, एनआईएफएफटी, शैक्षणिक संस्थाएं, जेएससीए, पेट्रोल पंप, बीएसएनएल, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स तथा इंजीनियर्स लिमिटेड)।	313.31	4
ओएनजीसी, एसआईबी, सीबीआई, यूआईएआई-आधार, टीवीएनएल, सीडब्ल्यूसी, ईईएसएल (जनवरी 2020 लंबित) को हस्तांतरण के लिए प्रस्तावित भूमि (फरवरी 2016 - मई 2018 के दौरान प्राप्त हुए निवेदन)	126.37	1
अतिक्रमण के अधीन जमीन	73.05	1
एचईसी की शेष खाली भूमि	942.20	13
जोड़	7,199.51	100

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एचईसी को भूमि अपने संयंत्र, टाउनशिप के निर्माण व स्थापना के विशेष उद्देश्य तथा अन्य सहायक और संबंध प्रयोजन के लिए दी गई थी, कंपनी ने इस प्राथमिक उद्देश्य के लिए केवल 36 प्रतिशत भूमि का उपयोग किया (फैक्टरी के लिए 729.27 एकड़ टाउनशिप के अन्दर पॉकेट में भूमि सहित टाउनशिप के लिए 1,839.88 एकड़)। 44 प्रतिशत भूमि अन्य एजेन्सियों (2,849.44 + 313.31 एकड़) को हस्तांतरित की गई तथा इसके पास खाली भूमि (31 मार्च 2019 तक) 44 प्रतिशत थी।

कंपनी के पास उपलब्ध अधिक मात्रा में अप्रयुक्त भूमि के संबंध में, खाली भूमि के अतिक्रमण के खतरे तथा इसकी निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, 126.37 एकड़ भूमि सरकार/ अन्य एजेन्सियों को हस्तांतरित करने के लिए चिन्हित की गई थी। ₹1,036.42 करोड़¹ मूल्य वाली शेष 942.20 एकड़ भूमि के लिए कंपनी के पास कोई लाभदायक भूमि उपयोग योजना नहीं थी। कंपनी को सीबीआई, सीआईएसएफ, ऑइल पीएसयू तथा इंडियन आर्मी आदि से 136.645 एकड़ तक भूमि के आवंटन के लिए (फरवरी 2016 से अप्रैल 2018) के दौरान विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए। यद्यपि यह मामला भारी उद्योग मंत्रालय (डीएचआई) के साथ कंपनी द्वारा उठाया गया (दिसम्बर 2016 से अप्रैल 2018 तक), परन्तु वे अंतिम रूप देने के लिए लंबित रहे (मार्च 2020)। लेखापरीक्षा ने पाया कि एचईसी बोर्ड में भी अतिक्रमण के अधिक खतरे का उल्लेख किया (जून 2014) यदि सुरक्षा के लिए सीमित श्रमबल के परिप्रेक्ष्य में भूमि अनुपयोगी रही।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि भूमि का 84.14 प्रतिशत उपयोग किया गया था तथा 1,068.57 एकड़ भूमि एचईसी के भविष्य के प्रयोग के लिए उपलब्ध थी। प्रबंधन का उत्तर इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि उद्योग, टाउनशिप तथा अन्य सहायक सुविधाओं को स्थापित करने के लिए एचईसी को भूमि आवंटित की गई थी, जबकि कई वर्षों में इसे कार्यचालन पूंजी की आवश्यकता व बकाया देयों को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेन्सियों को भूमि का महत्वपूर्ण हिस्सा हस्तांतरित करना पड़ा तथा प्रबंधन अतिक्रमण से भूमि को सुरक्षित करने में भी असमर्थ था। कंपनी के पास शेष उपलब्ध 942.20 एकड़ भूमि के उपयोग के लिए कोई लाभदायक योजना नहीं है।

6.3.2.2 भूमि का पट्टे पर देना तथा अतिक्रमण

(i) भूमि के अतिक्रमण के कारण जीओजे से ₹75.30 करोड़ की वसूली न होना

भारत सरकार (जीओआई) (सितम्बर 2008) द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के अनुसार, 2,342 एकड़ अतिक्रमण मुक्त भूमि को एचईसी द्वारा झारखंड सरकार (जीओजे)

¹ जीओजे को भूमि अंतरण के लिए ₹1.10 करोड़ प्रति एकड़ की दर मानते हुए

को हस्तांतरित किया जाना था तथा एचईसी को ₹250 करोड़ प्राप्त होने थे। एचईसी ने 2,035.14 एकड़ भूमि जीओजे को हस्तांतरित की तथा शेष 306.86 एकड़ भूमि हस्तांतरित नहीं की गई क्योंकि वह अतिक्रमण के अधीन थी। जीओजे ने कंपनी को ₹75.30 करोड़ का शेष छोड़कर ₹174.70 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि शेष भूमि में अतिक्रमण के समयबद्ध निष्कासन को सुनिश्चित करने के लिए जीओजे ने एचईसी को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन (अप्रैल 2009) दिया। तथापि कंपनी ने राज्य सरकार के साथ नियमित अंतराल पर अतिक्रमित भूमि को हटाने का मामला नहीं उठाया। 2009 के बाद, यह मामला 2012 में अर्थात्, तीन साल बाद उठाया गया। एचईसी ने डीएचआई को संपर्क किया (2015), परन्तु मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए कोई पहल नहीं की। 306.86 एकड़ भूमि से अतिक्रमण को हटाने में तथा अतिक्रमण मुक्त भूमि को जीओजे को सौंपने में एचईसी प्रबन्धन की असमर्थता के कारण ₹75.30 करोड़ (₹48.97 करोड़ + ₹26.33 करोड़) प्राप्त नहीं हो सके।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि डीएचआई के आदेश (21 अक्टूबर 2019) के अनुसार, 306.86 एकड़ भूमि में से 107.28 एकड़ भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उपयोग किया जाएगा तथा शेष 199.58 एकड़ को 'जैसे है उसी आधार पर' जीओजे को दिया जाएगा। जीओजे आनुपातिक राशि ₹48.97 करोड़ एचईसी को भुगतान करेगा। संशोधित राशि अभी तक कंपनी द्वारा प्राप्त की जानी थी।

6.3.2.3 भूमि को पट्टे पर देना

कंपनी ने भूमि को पट्टे पर देने के लिए कोई नीति नहीं बनाई थी। अलग-अलग संगठनों को अलग-अलग दरों पर जमीन आवंटित की गई तथा पट्टा नवीकरण प्रभारों में कोई एकरूपता नहीं थी। प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि भूमि को पट्टे पर देने की नई नीति की प्रक्रिया चल रही थी। कंपनी द्वारा भूमि को पट्टे पर देने से संबंधित कुछ मुद्दों पर आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

(i) जीआरएसई से ₹48.92 करोड़ की गैर-प्राप्ति

एचईसी ने 1966 से 30 वर्ष की शुरुआती अवधि के लिए मरीन डीजल इंजन प्लांट (एमडीईपी) स्थापित करने के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजिनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) को 62 एकड़ भूमि आवंटित की। एचईसी ने लाइसेंस शुल्क या पट्टा किराया प्रभारित नहीं किया। एचईसी ने एक नए करार के लिए जीआरएसई (अगस्त 1999) को संपर्क किया जिसके अप्रैल 1996 में उपरोक्त भूमि के लिए मान लिया गया कि 30 वर्षों के लिए मूल करार खत्म हो गया। ₹14.88 करोड़ के (प्रति एकड़ ₹0.24 करोड़ की दर

पर) एक बार पट्टा प्रीमियम (ओटीपी) तथा 10 प्रतिशत के साथ ₹1.48 करोड़ का वार्षिक पट्टा किराया एचईसी के अनुसार देय था। जीआरएसई ने एचईसी से पट्टा करार की प्रति की मांग की तथा यह कहते हुए किसी भी पट्टा डीड को करने से इंकार कर दिया कि विचाराधीन भूमि पर लम्बे समय से उनके कब्जे के द्वारा उन्होंने अधिकार तथा टाइटल हासिल की थी।

एचईसी ने कानूनी राय (2012) प्राप्त की, जिसने सिफारिश की कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन तत्काल कदम उठाए जाएं। एचईसी ने मामले के लिए एक मध्यस्थ नामित करने हेतु डीपीई अनुरोध किया (अप्रैल 2013)। इस मामले को परमानेंट मशीनरी ऑफ आर्बिट्रेशन को संदर्भित किया गया (जून 2015), जिसका निष्कर्ष था कि हस्ताक्षरित औपचारिक पट्टा करार के अनुपलब्धता के कारण, तत्काल मामला आर्बिट्रेशन के अंतर्गत नहीं आता था तथा दोनों पक्षों द्वारा इसे निपटाने की जरूरत थी। एचईसी ने, कोर्ट ऑफ एस्टेट ऑफिसर से संपर्क किया (अप्रैल 2018) तथा निष्कासन के लिए मामला दायर किया। जीआरएसई ने इसके खिलाफ स्टे प्राप्त किया (अगस्त 2018)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एचईसी के पास वर्ष 1999 तक जब कंपनी के सामने मामले आया, पट्टा समझौता नहीं था या यह दर्शाने के लिए पट्टा करार या कोई रिकार्ड नहीं था कि एचईसी द्वारा पट्टा की गई थी। इस प्रकार, कानूनी दस्तावेजों के अभाव में एचईसी को 62 एकड़ भूमि जीआरएसई के अनधिकृत कब्जे में रही तथा विवाद को अभी भी जीआरएसई के साथ आपसी सहमति के सुलझाया जाना बाकी था। कंपनी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कंपनी को ₹48.92 करोड़ पट्टा किराया तथा पट्टा नवीनीकरण प्रभार प्राप्त नहीं हो सके। [ओटीपी के रूप में ₹14.88 करोड़ एवं पट्टा किराया ₹34.04 करोड़ (₹1.48 करोड़ x 23 वर्ष)]।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) एचईसी व जीआरएसई के बीच करार पर एचईसी तथा बिहार सरकार के बीच डीड ऑफ कोन्वेयंस के न होने के कारण करार पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके थे। एचईसी तथा जीआरएसई के सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति इस मुद्दे को सुलझाने के लिए बनाई गई थी। उत्तर में प्रबंधन की निष्क्रियता को इस तथ्य के मद्देनजर नहीं बताया गया कि फरवरी 1996 में संपूर्ण भूमि के लिए डीड ऑफ कोन्वेयंस को पंजीकृत किया गया था, परन्तु उसके तुरंत बाद जीआरएसई के साथ पट्टा करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

(ii) पट्टा का गैर-नवीनीकरण

जैसा कि ऊपर पैरा 2.3 में उल्लेख किया गया है, कंपनी ने भूमि को पट्टे पर देने की कोई नीति नहीं बनाई थी। तीसरे पक्षकार के साथ एचईसी द्वारा किए गए पट्टा करार की

सामान्य पट्टा निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, पट्टेदार को पट्टी अवधि के लिए ओटीपी का भुगतान करना था तथा प्रीमियम का दस प्रतिशत अग्रिम रूप से प्रत्येक वर्ष किराए के रूप में देना था। लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए पट्टा के गैर-नवीनीकरण के मामले नीचे दिए गए हैं:

(iii) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी

एचईसी ने जून 1968 में हटिया में प्रति वर्ष ₹0.26 लाख की दर से तीस वर्षों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी) को 57.47 एकड़ भूमि पट्टे पर दी थी। पट्टा करार पर 31 मार्च 1987 को हस्ताक्षर किए गए थे। जून 1998 में पट्टा अवधि समाप्त होने के पश्चात एचईसी द्वारा वन टाइम प्रीमियम ₹3.45 करोड़ तथा वार्षिक पट्टे किराया ₹0.34 करोड़ तय किया गया था। एनआईएफएफटी ने इस दलील पर संशोधित पट्टा प्रीमियम का भुगतान करने से मना कर दिया कि यह एक गैर-लाभकारी संगठन था तथा 2012-13 तक पुरानी दर पर भुगतान करना जारी रखा। यह भी कहा गया कि इस मामले को उद्योग मंत्रालय के साथ उठाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया गया था (मार्च 2000)। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचईसी ने अक्टूबर 2012 तक एनआईएफएफटी के साथ इस मामले को फॉलो अप नहीं किया तथा अक्टूबर 2014 व फरवरी 2019 में पत्र भेजे गए। पट्टा की 21 वर्षों की समाप्ति के बाद भी नवीनीकरण नहीं किया गया। एनआईएफएफटी ने 2013-14 के बाद से पट्टा किराया ₹0.51 लाख प्रति वर्ष भुगतान करना शुरू किया। इस प्रकार, पट्टा के नवीनीकरण करने में कंपनी की विफलता के कारण एनआईएफएफटी से ₹10.69 करोड़ (₹7.24 करोड़ पट्टा किराए के साथ ओटीपी के रूप में ₹3.45 करोड़) प्राप्त नहीं किए जा सके।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि मामले को एनआईएफएफटी के साथ निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा था। पट्टा करार को अंतिम रूप देने व नवीनीकरण करने में प्रबंधन की निष्क्रियता की ओर उत्तर में संकेत किया गया है जिस के कारण पट्टा प्रभारों की हानि हुई। मंत्रालय के साथ मामला नहीं उठाए जाने वाले लेखापरीक्षा के सवाल पर भी प्रबंधन ने कोई उत्तर नहीं दिया।

(iv) भारत संचार निगम लिमिटेड

एचईसी ने 21 अप्रैल 1985 को बिना किसी पट्टा करार के 30 वर्षों के लिए ₹0.03 लाख प्रति वर्ष की दर से बीएसएनएल को 1.38 एकड़ भूमि आवंटित की। आवंटन के 30 वर्षों की आरंभिक अवधि समाप्त होने के पश्चात भी, पक्षकारों द्वारा दर में संशोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा हाल ही में एक स्वतंत्र एजेन्सी² द्वारा किए गए

² समर्थ इंजीनियर्स

(अक्टूबर 2016) डिजीटल सर्वे के अनुसार बीएसएनएल के कब्जे में कुल भूमि 1.43 एकड़ का पता चला। इस प्रकार, बीएसएनएल का चार वर्षों से संशोधित प्रभारों का भुगतान किए बिना कंपनी की भूमि पर कब्जा था तथा उसने 0.05 एकड़ भूमि का अतिक्रमण भी किया। कंपनी ने बीएसएनएल को 30 वर्षों (अर्थात् 2015 में) की आवंटन की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के दो वर्षों बीतने के बाद पट्टा के नवीनीकरण का अनुरोध किया (जुलाई 2017)। कंपनी ने इसके बाद बीएसएनएल के साथ कोई प्रवाचार नहीं किया।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि मामले को निपटाने की प्रक्रिया चल रही थी।

6.3.2.4 टाउनशिप प्रबंधन

एचईसी के पास अपने कर्मचारियों/ पूर्व कर्मचारियों को अपने संयंत्र के पास रहने की सुविधा के लिए एक टाउनशिप है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खरीददारी स्थानों को भी विकसित किया। बैंक, शिक्षण संस्थान, राज्य सरकार के कार्यालय, झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) जैसे अन्य संगठन भी एचईसी टाउनशिप की परिधि में आते हैं।

(i) क्वार्टर का अनधिकृत आधिपत्य

एचईसी टाउनशिप में 2 मई 2019 को उपलब्ध क्वार्टर, खाली क्वार्टर तथा अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टर की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-6.3.2

क्वार्टर की संख्या	आवंटित क्वार्टर	खाली क्वार्टरों की संख्या	खराब/ अनफिट क्वार्टर	अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टर (पूर्व कर्मचारियों द्वारा)	अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टर (अन्य द्वारा)
11,109	10,433	395	160	9 ³	112 ⁴

उपरोक्त तालिका से देखा गया है कि 395 क्वार्टर खाली थे, 160 क्षतिग्रस्त थे तथा 121 क्वार्टर (112+9) अनधिकृत आधिपत्य के अधीन थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी बाहरी लोगों द्वारा अनधिकृत आधिपत्य के अधीन 69 क्वार्टर के संबंध में ₹2.81 करोड़ (मार्च 2019 तक) वसूल नहीं कर सकी। यह पाया गया कि उपरोक्त 69 क्वार्टर में से, 46 क्वार्टर 20 से अधिक वर्षों से अनधिकृत आधिपत्य (कब्जे) में हैं तथा शेष 43 क्वार्टर (112-69) के संबंध में प्रबंधन के पास डेटा उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने 2015-19 के दौरान सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन केवल 6 क्वार्टर के संबंध में

³ जुलाई 2014 तक के बाद से

⁴ 20 वर्षों से अधिक

मामले दर्ज किए, जिनमें से दो क्वार्टर के संबंध में निष्कासन आदेश पारित किए गए तथा चार मामले प्रक्रिया धीन थे। अनधिकृत आधिपत्य के अधीन क्वार्टरों को खाली करने के लिए प्रबंधन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹2.81 करोड़ (69 क्वार्टर) की गैर-प्राप्ति हुई जो समय के साथ बढ़ती गई।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि ऐसे सभी अनधिकृत आधिपत्य वालों को क्वार्टरों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किए गए। प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि प्रबंधन ने केवल नौ पूर्व कर्मचारियों को ही नोटिस जारी किया था जिन्होंने अनधिकृत रूप से क्वार्टरों पर कब्जा किया था। इसके अलावा, कंपनी का क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे के कारण लगातार हानि उठाना जारी है।

(ii) सम्पदा देयों की उगाही न होना

लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि निम्नलिखित विवरणों के अनुसार घर किराया, बिजली व पानी प्रभार के प्रति विभिन्न एजेन्सियों के खिलाफ बड़ी राशि बकाया थी।

तालिका 6.3.3: 31 मार्च 2019 तक एचईसी की बकाया सम्पदा देयों को दर्शाने वाला विवरण

विवरण	बकाया राशि (₹करोड़ में)			
	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
कर्मचारियों को पट्टे पर दिए गए क्वार्टर (लीव तथा लाइसेंस)	0.06	0.11	0.14	0.07
अनुकंपा आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों को आवंटित किए गए क्वार्टर	0.19	0.23	0.26	0.28
कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लम्बी अवधि के पट्टे पर दिए गए क्वार्टर	1.37	1.62	1.16	1.03
गैर-आवासीय इमारत	0.40	0.61	1.53	2.79
बाहरी एजेन्सियों अर्थात् कंपनी कर्मचारियों के अलावा को आवंटित इमारत	4.25	4.85	5.53	6.14
झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी)	1.02	2.25	1.18	1.80
कंपनी द्वारा आवंटित दुकाने	1.31	1.48	1.68	5.00
एचईसी की कर्मचारी यूनियन (यूएनआई)	0.00	0.01	--	--
जोड़	8.60	11.16	11.48	17.11

बकाया देय मार्च 2016 में ₹8.60 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 में ₹17.11 करोड़ हो गए। उपरोक्त में से, प्रबंधन ने खातो में ₹6.62 करोड़ के लिए संदिग्ध वसूली का प्रावधान किया था।

प्रबंधन ने कहा कि नियमित आबंटिती अपने देय जमा कर रहे थे जबकि चूककर्ताओं को नोटिस दिए गए थे, इसी प्रकार दुकानों के लिए ₹5 करोड़ बकाया देय एक पूर्व-निर्धारित अनुमान था। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचईसी के राजस्व विभाग के रिकार्ड के अनुसार, 31 मार्च 2019 तक दुकानों के प्रति कुल देय ₹5 करोड़ थे।

बकाया देयों की वसूली न होने के महत्वपूर्ण मामले नीचे वर्णित किये गए हैं-

- जीओजे से एचईसी को भारी मात्रा में पीने का पानी प्राप्त होता है तथा इसे टाउनशिप में उपभोक्ताओं के दरवाजे तक पहुँचाया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओजे ने 31 मई 2006 से जल प्रभार को संशोधित किया तथा 1 अगस्त 2009 से प्रभावी ₹5 प्रति केएल (₹22.75 प्रति किलो गैलन) की दर से एचईसी के साथ बिलिंग शुरू की। जीओजे ने एचईसी को अगस्त 2009 और मई 2013 के बीच की अवधि के लिए जल प्रभार के लिए ₹13.23 करोड़ का भुगतान करने को कहा। तथापि एचईसी द्वारा इस अवधि के लिए लाभार्थियों से वसूली गई राशि केवल ₹4.25 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि जीओजे ने पानी की खपत के लिए एक निश्चित दर पर एचईसी से प्रभार लिया, लेकिन कंपनी ने एक समान दर पर ही जल प्रभार की वसूली की। कंपनी ने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए इसके द्वारा किए गए रखरखाव, वितरण व संप्रेषण लागत के लिए भी प्रभार नहीं लिया था जबकि जीओजे द्वारा कंपनी से खुदरा दरों पर प्रभार लगाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप अधिप्राप्ति कीमत तथा जलप्रभार की वसूली के बीच व्यापक अंतर आया और एचईसी विभिन्न एजेन्सियों/ आवासीय भवन पर कब्जा करने वालों से (31 मार्च 2019 को) ₹2.68 करोड़ की वसूली नहीं कर सका। इसके अलावा, जीओजे की मांग (अगस्त 2009 से मार्च 2019) के अनुसार एचईसी को जल प्रभारों पर ₹25.17 करोड़ का भुगतान करना था।

प्रबंधन ने कहा कि जल प्रभार संग्रहण में कमी मुख्य रूप से चूककर्ता आवंटियों एवं जीओजे द्वारा सेवन से ज्यादा दावाकृत राशि तथा आपूर्ति के दौरान रिसाव आदि जैसे कारणों की वजह से आपूर्ति के दौरान होने वाले नुकसान की अनदेखी के कारण हुई। प्रबंधन के उत्तर को आवंटितियों से पानी प्रभार के संग्रहण में कमी के कारण होने वाले नुकसान के प्रति देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, पानी की आपूर्ति को मापने के लिए आवश्यक फ्लो मीटर स्थापित नहीं किए गए थे तथा लगभग 15 वर्षों की समाप्ति के बाद भी जीओजे द्वारा आपूर्ति की गई पानी की मात्रा का समाधान नहीं किया जा सका।

- 29 क्वार्टर विभिन्न क्लबों, समितियों तथा एचईसी उपभोक्ता सहकारी समितियों को आवंटित किए गए, जिसके लिए कंपनी ने इन संगठनों से मकान किराया, बिजली व पानी प्रभार लिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहकारी समिति के प्रति

₹1.38 करोड़ और क्लब व समिति के प्रति ₹0.34 करोड़ बकाया थे (31 मार्च 2019)। पर्याप्त निगरानी तथा प्रभावी प्रबंधन के अभाव में एचईसी इन क्लबों, समिति तथा एचईसी सहकारी समिति से बकाया राशि प्राप्त नहीं कर सका।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि विभिन्न क्लबों, समितियों तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों के कब्जे में परिसरों के आवंटन की प्रमाणिकता सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली), अधिनियम 1971 के अनुसार सत्यापित की जाएगी, उसके बाद देय राशि की वसूली की जाएगी या अनिधिकृत आधिपत्य का निष्कासन किया जाएगा।

- कंपनी द्वारा छह इमारतें डाकघर को चलाने के लिए डाक विभाग को आवंटित की गईं। मई 2009 में एचईसी द्वारा किराए को संशोधित किया गया था तथा उपरोक्त परिसर के लिए संशोधित किराए का दावा किया गया (दिसम्बर 2013)। डाक विभाग ने संशोधित बिलों पर विवाद किया तथा एचईसी से मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया जिसे प्रबंधन ने स्वीकार नहीं किया। क्योंकि डाक विभाग संशोधित बिलों का भुगतान करने को तैयार नहीं था, इसलिए बकाया देय राशि ₹1.40 करोड़ (31 मार्च 2019) तक जमा हो गई। एचईसी ने इमारतों का आवंटन रद्द कर दिया (फरवरी 2015)। यद्यपि, डाक विभाग ने न तो परिसर को खाली किया और न ही बढ़े हुए बिलों का भुगतान किया। प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि डाक प्राधिकारियों को नियमित रूप से याद दिलाया गया है।
- बीएसएनएल को चार कार्यालय भवन तथा पांच आवासीय क्वार्टर आवंटित किए गए (जैसा कि उपरोक्त पैरा में चर्चा की गई है)। कंपनी बीएसएनएल से ₹0.32 करोड़ वसूल नहीं सकी। देय राशि मार्च 2008 से जुलाई 2017 तक की अवधि के लिए बकाया थे। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि एचईसी प्रबंधन ने जुलाई 2017 के बाद बीएसएनएल के साथ कोई पत्राचार नहीं किया था।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि देयों का भुगतान करने के लिए अंतिम नोटिस देने के बाद, यदि राशि बकाया है, तो सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अनुसार हर्जाने की मांग का नोटिस दिया जाएगा।

इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा कोई उचित कार्रवाई के अभाव में, ₹17.11 करोड़ प्राप्त नहीं हो सके तथा बकाया रहे (31 मार्च 2019)।

6.3.2.5 आरएमसी को पेयजल वितरण प्रणाली सौंपने में देरी

नगरपालिका सेवाएं जैसे पेयजल की आपूर्ति, सीवेज निपटान प्रणाली, सीवेज ट्रीटमेंट का एचईसी द्वारा अपनी टाउनशिप में रखरखाव किया जाता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टोरेज टैंक सेवा योग्य नहीं थे तथा कई पाइपलाइन लीक हो रही थी जो पेयजलको दूषित कर सकती थी। जलआपूर्ति तथा सीवेज निपटान प्रणाली का रखरखाव करने तथा उपयोगकर्ताओं से सेवाओं की लागत को वसूल करने में असमर्थता, तथा क्योंकि 85 प्रतिशत उपयोगकर्ता कंपनी के कर्मचारी नहीं थे, को देखते हुए एचईसी बोर्ड ने सम्पूर्ण जल आपूर्ति नेटवर्क को रांची नगर निगम (आरएमसी) को सौंपने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2013)। बोर्ड ने इस पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए मंत्रालय (डीएचआई) को ऐसे अंतरण के निबंधन व शर्तों के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तथापि, लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया, कि बोर्ड के निर्देश के छह वर्ष बीतने के पश्चात भी, कंपनी द्वारा डीएचआई को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया (जनवरी 2020)।

प्रबंधन ने कहा कि मामला जीओजे के साथ उठाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रबंधन ने मामले को (सितम्बर 2017) जीओजे के साथ उठाया अर्थात् पूरे जल आपूर्ति नेटवर्क को आरएमसी को सौंपने के बोर्ड के निर्णय के चार वर्ष पश्चात। जनवरी 2019 में ही जीओजे के शहरी विकास तथा आवास विभाग से संपर्क किया गया था। अनुमोदन के लिए मंत्रालय (डीएचआई) को जल आपूर्ति नेटवर्क के हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन पर प्रबंधन के उत्तर में उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, प्रबंधन की कार्रवाई करने में देरी से, इसको प्रदान की गई सेवाओं की लागत की वसूली करने में असमर्थ होने के कारण नुकसान उठाना जारी रहा। इसके अलावा, पुरानी व अनुपयोगी पाइपलाइन के मद्देनजर निवासियों को दूषित पानी की आपूर्ति का जोखिम है। एचईसी बोर्ड छह वर्ष पहले के अपने निर्णय के अनुपालन की मानीटरिंग करने में भी विफल रहा।

6.3.2.6 होल्डिंग टैक्स की गणना के लिए राज्य के प्राधिकारियों को जानकारी प्रस्तुत नहीं करना

आरएमसी के साथ जुलाई 1991 में हुए करार के अनुसार, एचईसी होल्डिंग टैक्स के रूप में ₹0.08 करोड़/ प्रति वर्ष की एकमुश्त राशि का भुगतान कर रहा था। यह भी सहमति हुई थी कि आरएमसी एचईसी के साथ एक प्रतिनिधित्व तथा विशिष्ट करार के बिना प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकृत या अनधिकृत निर्माणों पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। आरएमसी ने सूचित (नवम्बर 2016) किया कि झारखंड संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली) नियमावली 2013 के अधिनियमन के बाद, संशोधित दरों पर अप्रैल

2016 से देय एचटी का निर्धारण तीन महीने के अन्दर पूरा किया जाना था। एचईसी को उन इमारतों का विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जिनके संबंध में कंपनी को 14 दिसम्बर 2016 तक एचटी का भुगतान करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने आरएमसी को इमारतों व क्वार्टरों की संख्या सूचित की (फरवरी 2017)। आरएमसी ने एचईसी को एक नोटिस भेजा (8 मार्च 2018) और एचटी की संगणना के लिए एचईसी टाउनशिप में स्थित इमारतों के संबंध में विस्तृत विवरण प्रदान करने के लिए कहा। एचईसी ने पूरी जानकारी प्रदान नहीं की तथा इसलिए आरएमसी ने एचईसी फैक्टरी तथा कार्यालय के अधीन पूरे क्षेत्र के लिए एचटी की संगणना की। एचईसी क्षेत्र में कार्यालय भवनों के लिए संशोधित एचटी ₹1.77 करोड़ प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। 2016-17 से 2019-20 के लिए आरएमसी द्वारा कुल मांग ₹10.09 करोड़ थी जिसमें ₹7.06 करोड़ के एचटी तथा ₹3.03 करोड़ ब्याज व शक्ति के रूप में शामिल थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि इमारतों का विवरण प्रदान करने तथा कंपनी द्वारा एचटी को भुगतान करने के लिए दायी इमारतों को अलग करने की बजाय, कंपनी ने झारखंड उच्च न्यायालय में संशोधित मांग के लिए एक रिट याचिका दायर की। जिसे 8 जुलाई 2019 को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अदालत ने मत व्यक्त किया कि चूंकि एचईसी ने आरएमसी के साथ एक करार किया था, इसलिए यह प्रतिवादी द्वाय मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य था।

इस प्रकार, आरएमसी को अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने में एचईसी प्रबंधन की विफलता के कारण ₹3.03 करोड़ की शक्ति व ब्याज लगाया गया जो आगे भी बढ़ सकता था। कंपनी को अभी उन इमारतों की पहचान कर (जनवरी 2020) सूचित करना था जिनके लिए वे एचटी का भुगतान करने के लिए दायी थे। इसके अलावा, एचईसी क्षेत्र में आवासीय इमारतों के संबंध में ऐसी मांग हो सकती है जहां क्वार्टर के केवल 15 प्रतिशत ही एचईसी कर्मचारियों के पास थे।

प्रबंधन ने कहा कि जुलाई 1991 में आरएमसी तथा एचईसी के बीच करार अभी भी जारी था तथा मांग नोटिस के खिलाफ झारखंड संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण तथा वसूली) नियमावली, 2013 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकार्य के समक्ष सितम्बर 2019 में अपील दायर की गई थी। लेखापरीक्षा ने उल्लेख किया कि प्रबंधन ने एचईसी टाउनशिप में स्थित इमारतों के संबंध में आरएमसी के अनुस्कार के बावजूद अपेक्षित जानकारी नहीं दी थी।

पैरा मंत्रालय को जनवरी 2020 में जारी किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2020)।

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

6.4 आयकर का परिहार्य भुगतान

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड द्वारा लेखा बहियों में भारत सरकार के ऋण एवं अन्य देयताओं में छूट के अनुचित उपचार के परिणामस्वरूप ₹55.38 करोड़ तक का परिहार्य आयकर भुगतान एवं इसके अलावा ₹41.18 करोड़ की कर देयता हुई।

आयकर अधिनियम, 1961 में रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 (एसआईसीए) की धारा 18 के साथ पठित धारा 17(3) के तहत रूग्ण औद्योगिक कंपनियों को पहचाना गया और कुछ राहत/रियायतें प्रदान की गईं जैसे कि पूंजीगत लाभ कर से छूट, कुछ शर्तों की पूर्ति पर संचित हानि के प्रति पूंजीगत लाभ, यदि कोई हो, को समंजन करने की अनुमति आदि। ये राहत/रियायतें केवल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा अनुमोदन और उचित आदेश जारी करने के बाद ही स्वीकृत हैं।

तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड (कंपनी) को एसआईसीए⁵ के अंतर्गत 2004 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित किया गया था क्योंकि यह लंबे समय से घाटे में चल रही थी। प्रशासनिक विभाग, अर्थात्, भारी उद्योग विभाग (डीएचआई) ने कंपनी को बंद करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के निर्णय से अवगत कराया (जनवरी 2016)। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी 9 फरवरी 2017 से कंपनी को बंद करने की अनुमति (फरवरी 2017) दी।

इस बीच, सीसीईए ने देनदारियों के निर्वहन के प्रति ₹35.55 करोड़ की निधियों के आधान को अनुमोदित किया और कंपनी की अचल संपत्तियों पर हस्तांतरण अधिकार के बदले में भारत सरकार (जीओआई) के ₹115.84 करोड़ के ऋण और उस पर ₹315.92 करोड़ के ब्याज को बढ़े खाते में डालने की अनुमति दी (दिसम्बर 2015)। बाद में, डीएचआई ने कर्नाटक हाउसिंग बोर्ड (केएचबी)/कर्नाटक सरकार (जीओके) को ₹66 लाख प्रति एकड़ की दर से कंपनी की पूरी 82 एकड़ 37 सेंट. भूमि की बिक्री के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी से अवगत करवाया (जनवरी 2018)। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि केएचबी को भूमि का हस्तांतरण धन की प्राप्ति के बाद किया जाना था और फिर कंपनी को इसके समापन के लिए परिसमापक को सौंपना अपेक्षित था।

⁵ रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 को रूग्ण औद्योगिक कंपनियों (विशेष प्रावधान) निरसन अधिनियम, 2003 द्वारा 1 दिसंबर 2016 से निष्प्रभावी किया गया था। परिणामस्वरूप, सरकार ने बीआईएफआर को भंग कर दिया और सभी लंबित मामलों को शोध अक्षमता तथा दिवालियापन कोड 2016 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को संदर्भित कर दिया

बाद में, जीओके ने अपने केएचबी संचालन के लिए कंपनी से ₹54.20 करोड़ के कुल मूल्य पर 82 एकड़ 12 सेंट⁶ की सीमा तक की भूमि की खरीद के लिए एक अधिसूचना (सितंबर 2018) जारी की। यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि के 57 एकड़ 8 सेंट (कारखाना क्षेत्र) को पहले चरण में पंजीकृत किया जाएगा और 25 एकड़ 4 सेंट (आवासीय) की शेष भूमि निवासियों से खाली कराने के बाद पंजीकृत की जाएगी।

वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2016-17 के दौरान, कंपनी ने भारत सरकार द्वारा ऋण और उस पर ब्याज (₹467.07 करोड़⁷) तथा अन्य (₹5.22 करोड़) के परित्याग सहित कुल ₹472.29 करोड़ को लेखा बहियों में दर्ज कर दिया और वित्त वर्ष 2016-17 के लाभ एवं हानि लेखाओं में परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (असाधारण आय) के रूप में माना। इसने ₹471.35 करोड़ के पूंजीगत लाभ और ₹145.79 करोड़ की चालू वर्ष की स्वीकार्य हानि को समायोजित करने के बाद ₹321.23 करोड़ की कुल आय को घोषित करते हुए निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2017-18 (वित्तीय वर्ष 2016-17) के लिए आयकर (आईटी) रिटर्न ई-फाइल की।

आयकर विभाग के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र ने आयकर अधिनियम (आईटी अधिनियम), 1961 की धारा 143(1) के तहत उपर्युक्त रिटर्न को संसाधित किया और ₹93.38 करोड़ (आयकर ₹75.16 करोड़+विलंबित रिटर्न के लिए जुर्माना: ₹3.76 करोड़+ अग्रिम कर के भुगतान में चूक: ₹15.98 करोड़- भुगतान किए गए करों का समायोजन: ₹1.52 करोड़) की शुद्ध कर मांग को उठाया (सितंबर 2018)। इसके बाद, आयकर विभाग ने कंपनी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया और आयकर के प्रति ₹55.38 करोड़ की राशि एकत्र की (जनवरी 2019)। बाद में, आयकर विभाग ने ₹41.18 करोड़ की बकाया राशि (बकाया राशि ₹38.00 करोड़ और आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 220(2) के तहत: के ब्याज ₹3.18 करोड़) के लिए एक नोटिस दिया (फरवरी 2019)।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- जीओके ने 19 सितंबर 2018 को केएचबी को भूमि के हस्तांतरण को अधिसूचित किया था और कंपनी ने बिक्री की औपचारिकताओं को पूरा किया और 5 जनवरी 2019 को भूमि की बिक्री के लिए नकद प्राप्त किया। इसलिए, कंपनी को वित्त वर्ष 2018-19 में पूंजीगत लाभ के रूप में इसे स्वीकार करना चाहिए था जिसके लिए कंपनी को ₹55.23 करोड़⁸, के बिक्री प्रतिफल पर हुए पूंजीगत लाभ पर

⁶ 82 एकड़ 37 सेंट में से 25 सेंट को छोड़कर जिस पर अतिक्रमण हाने की बात की गई

⁷ ₹467.07 करोड़ में ₹315.92 करोड़ के ब्याज के साथ ₹151.15 करोड़ का भारत सरकार का ऋण शामिल है

⁸ सीसीईए को सूचित 82 एकड़ 37 सेंट के साथ सर्वे नंबर 427 पर 1 एकड़ 31 सेंट की बिक्री जो अनजाने में छूट गई। इस प्रकार, केएचबी को बेची गई कुल भूमि 83 एकड़ 68 सेंट है और वसूल की गई राशि ₹55.23 करोड़ है। ₹55.23 करोड़ पर 1 प्रतिशत के टीडीएस की कटौती के बाद, 5 जनवरी 2019 को कंपनी को क्रेडिट की गई शुद्ध राशि ₹54.68 करोड़ थी

20 प्रतिशत की दर से शास्ति/ ब्याज के साथ, यदि कोई हो तो, ₹11.04 करोड़ के पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना होगा। कंपनी द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान घोषित ₹17.21 करोड़ के शुद्ध नुकसान को ध्यान में रखते हुए ₹11.04 करोड़ का पूंजीगत लाभ कर भी ₹7.60 करोड़⁹ तक कम हो जाएगा। हालांकि, कंपनी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान भूमि के विक्रय लेनदेन को पूरा किए बिना ₹471.35 करोड़ के पूंजीगत लाभ को गलत तरीके से मान्यता दी। परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2016-17 में बहियों में किए गए अनियमित समायोजन को देखते हुए, कंपनी को ₹55.38 करोड़ के आयकर का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा और ₹41.18 करोड़ (निर्धारण आदेश के अनुसार) की कर राशि का अतिरिक्त दायित्व उठाना पड़ा।

- यदि कंपनी वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान ₹471.35 करोड़ के पूंजीगत लाभ को मान्यता नहीं देती, तो उसे आयकर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ₹96.56 करोड़ की कुल कर देयता के प्रति ₹7.13 करोड़ (आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य कटौती के अधीन, यदि कोई हो) के शुद्ध लाभ पर ₹2.13 करोड़ का निगम कर ही चुकाना पड़ता।
- वित्त वर्ष 2016-17 में कंपनी द्वारा गलत लेखांकन को जून 2018 में लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया था। हालांकि, कंपनी ने अपने लेखाओं में सुधार नहीं किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि आयकर रिटर्न को संशोधित करने की अनुमत अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी और जो भी संशोधन संभव थे उन पर प्रधान आयुक्त के पास अपील सहित प्रयास किये गये थे।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी ने आयकर विभाग के आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर करने का अवसर खो दिया था क्योंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 249(2) के तहत 30 दिनों का निर्धारित समय पहले ही 24 अक्टूबर 2018 तक समाप्त हो गया था। इसके अलावा, यद्यपि कंपनी को पहले ही बीआईएफआर को संदर्भित किया गया था, लेकिन इसने शोध अक्षमता तथा दिवालियापन कोड, 2016 के तहत उपलब्ध राहत और रियायतों के अनुदान के लिए बीआईएफआर/ एनसीएलटी या सीबीडीटी के पास कोई आवेदन दायर नहीं किया था। इसलिए, पहले से भुगतान किए गए ₹55.38 करोड़ की कर राशि की वसूली की संभावना बेहद कम है।

⁹ कुल पूंजीगत लाभ ₹55.23 करोड़ - शुद्ध घाटा ₹17.21 करोड़ = ₹38.02 करोड़, जिस पर शुद्ध पूंजीगत लाभ देय ₹7.60 करोड़ गिना गया जो ₹38.02 करोड़ का 20 प्रतिशत है

इस प्रकार, अचल संपत्ति के हस्तांतरण के बिना बहियों में भारत सरकार के ऋण और ब्याज को पुंजीगत लाभ के रूप में गलत उपचार के कारण, कंपनी को ₹41.18 करोड़ की कर देनदारी को उठाने के अलावा ₹55.38 करोड़ के परिहार्य आयकर का भुगतान करना पड़ा।

मामले को मंत्रालय को जनवरी 2020 में संदर्भित किया गया; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2020)।